राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की पाँचवीं बैठक दि0 20.11.2008

एजेन्डा मद संख्या–14

विषयः– डेफनेस कंट्रोल प्रोग्राम के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण कार्यक्रम हेतु रु0 19.00 लाख तथा प्रदेश के दो जनपदों जनपद बाराबंकी एवं गोरखपुर के लिये रु0 2,20,000/– प्रति जनपद की दर से कुल रु0 4,40,000/– इस प्रकार कुल धनराशि 23,40,000/– की धनराशि जनपद एवं राज्य स्तर पर अवमुक्त की गई है।

कार्यकारी समिति से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रेषक,

महानि[illegible]
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–रा०कु०अ०/शिविर/रा०ब०नि०का०/2008/ 4506 लखनऊ : दिनांक 2 सितम्बर, 2008

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राष्टीय बहरापन नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न मदों में अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निम्नलिखित शासनादेश द्वारा कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु जनपद बाराबंकी एवं गोरखपुर के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है :–

कमांक	भारत सरकार के शासनादेश संख्या व दिनांक	गतिविधि का विवरण	अवमुक्त की गयी धनराशि
1-	संख्या–21015/10/06(NCD)Pt.HI/PH, दिनांक 16, मार्च, 2007	जिला चिकित्सालय स्तर पर क्षमतावर्धन हेतु	Rs. 19,00,000/=
2-	संख्या–21015/10/06(NCD)Pt.HI/PH, दिनांक 20 नवम्बर, 2007	पी०एच०सी० किट की आपूर्ति हेतु	Rs. 15,70,000/=
3-	संख्या–21015/51/2007-NCD/PH-II, दिनांक 20 नवम्बर, 2007	गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से स्कीनिंग कैम्प हेतु	Rs. 2,00,000/=
	योग		Rs. 36,70,000/=

2- उपरोक्त कमांक–1 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी धनराशि से जिला चिकित्सालय, बाराबंकी तथा गोरखपुर में रू० 2.50 लाख प्रति चिकित्सालय की दर से साउण्ड प्रूफ रूम के निर्माण पर राज्य स्तर से अधीक्षण अभियन्ता (निमार्ण), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा भारत सरकार के मानक के अनुसार कराया जायेगा तथा जिला चिकित्सालय, बाराबंकी तथा गोरखपुर में रू० 7.00 लाख प्रति जनपद की दर से बहरेपन की जॉच एवं उपचार हेतु भारत सरकार की उपकरण सूची के अनुसार उपकरणों का कय निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा की जायेगी, अतः रू० 19.00 लाख की धनराशि स्टेट नोडल आफिसर/कार्यक्रम अधिकारी के निवर्तन पर रखी जायेगी। कमांक–2 तथा कमांक–3 पर उल्लिखित पी०एच०सी० किट की आपूर्ति एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्कीनिंग कैम्प के आयोजन पर व्यय जिला नोडल आफिसर/ई०एन०टी० सर्जन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी तथा गोरखपुर द्वारा किया जाना है। उक्त विवरण के अनुसार धनराशि के आवंटन का विवरण (राज्य स्तरीय व्यय एवं जिला स्तरीय व्यय हेतु) तैयार किया गया है, जो कि कमशः संलग्नक–। एवं संलग्नक–।। में उल्लिखित है।

3- भारत सरकार के शासनादेश संख्या– संख्या–21015/50/07-NCD)/PH-I, दिनांक 14, जुलाई, 2008 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा बच्चों को श्रवण यन्त्र की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु जनपद बाराबंकी तथा गोरखपुर हेतु कुल रू० 4,86,600/= अवमुक्त किया है और उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट राज्य

स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश के पक्ष में निर्ग[illegible] करने के निर्देश दिये गये है। उक्त धनराशि से जन[illegible] बाराबंकी [illegible] गोरखपुर को कमशः रू० [illegible].300/= के श्रवण यन्त्र के कय में जिला नोडल आफिस[illegible] बाराबंकी [illegible] गोरखपुर द्वारा किया जायेगा। श्रवण यन्त्र का कय मेसर्स अल्पास इण्टर नेशनल प्राइवे[illegible] लिमिटेड, नई दिल्ली से भारत सरकार के रे[illegible] कान्ट्रेक्ट के अनुसार किया जाना है।

4- अतः आपसे अनुरोध है कि कमश संलग्नक–। एवं संलग्नक–।। में उल्लिखित विवरण के अनुसार राज्य स्तर पर कार्यकम प्रबन्धन हेतु रू० 19.00 लाख तथा जिला स्तर पर कार्यकम कियान्यवन हेतु रू० 22,56,600/= की धनराशि अवमुक्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक – यथोपरि।

(आई०एस० श्रीवास्तव)
महानिदेशक

संलग्नक – एक

राष्ट्रीय बहरेपन की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 हेतु चयनित जनपदों में विभिन्न गतिविधियों के राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धन पर व्यय का विवरण

कमांक	जनपद	जनसंख्या (लाख में)	ई0एन0टी0 सर्जन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कुल स्वास्थ्य केन्द्र	जिला चिकित्सालय पर बहरेपन		योग
								साउण्ड प्रूफ कक्ष का निमार्ण	जॉच एवं उपचार सम्बन्धी उपकरण की आपूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बाराबंकी	31.34	1	7	15	50	72	250000	700000	950000
2.	गोरखपुर	44.37	2	9	13	63	85	250000	700000	950000
	योग		3	16	28	113	157	500000	1400000	1900000

नोट :– जिला चिकित्सालय परिसर में साउण्ड प्रूफ कक्ष का निमार्ण अधिशासी अभियन्ता (निमार्ण) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जायेगा। यह धनराशि राज्य स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना प्रस्तावित है।

जिला चिकित्सालय में बहरेपन की जॉच एवं उपचार हेतु उपकरणों का क्रय निदेशक (भण्डार) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। यह धनराशि राज्य स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना प्रस्तावित है।

(आई0एस0 श्रीवास्तव)
महानिदेशक

संलग्नक – 2

राष्ट्रीय बहरेपन की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 हेतु चयनित जनपदों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय प्रभार का विवरण

कमांक	जनपद	जनसंख्या (लाख में)	ई0एन0टी0 सर्जन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कुल स्वास्थ्य केन्द्र	बच्चों के लिए श्रवण यन्त्रों की आपूर्ति	बहरेपन से ग्रसित व्यक्तियों का गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से स्क्रीनिंग कैम्प रू0 1,00,000 प्रति जनपद प्रतिवर्ष	पी0एच0सी0 किट की आपूर्ति रू0 10000/– प्रति पी0एच0सी0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बाराबंकी	31.34	1	7	15	50	72	243300	100000	720000	1063300
2.	गोरखपुर	44.37	2	9	13	63	85	243300	100000	850000	1193300
	योग		3	16	28	113	157	486600	200000	1570000	2256600

(आई0एस0 श्रीवास्तव)
महानिदेशक